राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 06 / 2023 आवन्टन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

1. भंवरलाल पुत्र किशन ओड निवासी चांदगढ तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा	बनाम	1. उदयलाल जाट पिता गोकल जाट निवासी चांदगढ तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार कोटड़ी जिला भीलवाडा
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 एवं नियम 14(4) भू राजस्व अधिनियम (कृषि भूमि में भू आवंटन नियम 1970) एवं धारा 63(9) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री जय कुमार जैन अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री कैलाशचन्द्र काष्ट अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 19.08.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवटन नियम 1970 के नियम 14(4) एवं धारा 80 तथा धारा 63(9) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चांदगढ, पटवार क्षेत्र जीवा का खेडा, भू०अ०नि आकोला, तह–कोटड़ी की आराजियात खसरा सं 528 क्षेत्रफल 0.2168 एवं खसरा सं 534 / 1 क्षेत्रफल 0.8642 हैक्टे० भूमि जमाबंदी संवत 2076 से 2079 में बिलानाम सरकार काबिल काश्त होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। उक्त आराजियात राजस्व कर्मचारियों ने विपक्षी सं 1 के नाम नामान्तरण सं 1219 से आराजी सं 528 रकबा 1 बीघा 05 बीस्वा एवं आराजी सं 534 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा में से आराजी सं 534 / 1 दर्ज कर रकबा 4 बीघा भूमि आवंटन / नियमन उपखण्ड,अधिकारी, कोटड़ी के आदेश कमांक 634–36 दिनांक 16.08.2013, आदेश तहसील कमांक 221 / 2020 दिनांक 18.12.2020 की पालना का नामान्तरण में इन्द्राज कर दी गई। नामान्तरण पत्रिका पर उक्त किसी प्रकार का आदेश चस्पा नहीं किया गया। उक्त वर्णित आराजियात में से आराजी सं 534 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा पर प्रार्थी पिछले 30 वर्षो से भी अधिक समये से कब्जा होकर काश्त होने व वर्तमान में भी काश्त किया जाकर कब्जा है। प्रार्थना पत्र अनुसार

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा